कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी
जिला–बेमेतरा (छ.ग.)
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, जिला कार्यक्रम प्रबंधन इकाई
ईमेल :- cmho-bemetara.cg@gov.in फोन नं. .07824–222–069 / 108

पत्र. क्र. / NHM / एच.आर. / 2019 / 5342 बेमेतरा, दिनांक / 11 / 2019

/ / विज्ञापन / /

जिला खनिज न्यास निधि अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2019–20 के कार्य योजना अनुसार जिला बेमेतरा के विभिन्न स्वास्थ्य केन्द्रों में मूलभूत स्वास्थ्य सुविधा एवं कार्य आवश्यकता के दृष्टिकोण से वैकल्पिक व्यवस्थापन हेतु स्टाफ नर्स, ए.एन.एम., फार्मासिस्ट, एवं लेब टेक्निशियन की सेवायें निर्धारित मानदेय राशि में पूर्णतः अस्थाई रूप से लिये जाने हेतु विभिन्न नियम व शर्तो के अधीन कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला बेमेतरा (छ0ग0) में दिनांक 05.12.2019 संध्या 5.30 बजे तक पंजीकृत डाक / स्पीड पोस्ट के माध्यम से आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते है।

क्र.	सेवा का स्वरूप	एकमुश्त मानदेय	सेवा पदों की संख्या	श्रेणीवार सेवा पद का विवरण				शैक्षणिक योग्यता
				अना.	अपिव	अजा	अजजा	
1	Pharmacist	8000/-	13	08 (02 Female)	02	02	01	Degree or Diploma in Pharmacy (50%) & Registration in Pharmacy Registration Council.
2	Laboratory Technicians	6000/-	09	06 (01 Female)	01	01	01	(1) बी.एम.एल.टी. या डी.एम.एल.टी. कोर्स के साथ छत्तीसगढ़ पैरामेडिकल कौंसिल में रजिस्ट्रेशन या (2) पैथालॉजी में पैरामेडिकल कोर्स उत्तीर्ण एवं पैरामेडिकल कौन्सिल में पंजीयन
3	A.N.M (female)	8000/-	15	10	02	02	01	Anm Course Passed in Indian Nursing Board & Registrastion in CG Nurses Registration Council.
4	Staff Nurse (female)	8000/-	08	05	01	01	01	BSC Nursing, or GNM Course Passed and live registrastion in Chhattisgarh Nursing Registration Council.

भर्ती के संबंध में सामान्य शर्ते एवं दिशा निर्देशः–

1 आवेदक आवेदन का प्रारूप जिले के वेबसाईट www.bemetara.gov.in से डाउनलोड कर सकते है।

2 उक्त सेवा पदों पर शासन द्वारा जारी नियमों / निर्देशों के अनुसार आरक्षण क्षैतिज व प्रवर्गवार (Horizantal And Compartmentalized Reservation) महिलाओं / विकलांग / भू.पू. सै. / के लिए आरक्षण लागू होगा। छ.ग. शासन द्वारा समय–समय पर जारी विशेष आरक्षण नियम एवं शर्ते लागू होंगें।

3 अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता मान्यता प्राप्त संस्था / विश्वविद्यालय से तथा प्रमाण पत्र विज्ञापन दिनांक को धारित होना अनिवार्य है।

4 आवेदन निर्धारित प्रारूप में पूर्णतः भरकर बंद लिफाफे में पंजीकृत डाक / स्पीड पोस्ट के माध्यम से दिनांक 05.12.2019 शाम 5.30 बजे तक कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला बेमतरा में आमंत्रित किया जाता है। नियत तिथि के पश्चात् / साधारण डाक / कोरियर व अन्य माध्यम एवं सीधे प्राप्त हुये आवेदन पत्रों को स्वीकार नहीं किया जावेगा। आवेदक आवेदन करते समय लिफाफे के ऊपर आवेदित सेवा पद का नाम, जिसके लिये आवेदन किया जा रहा है एवं संवर्ग का स्पष्ट रूप से उल्लेख करें।

5 अपूर्ण एवं त्रुटिपूर्ण भरे आवेदन पत्रों को निरस्त करते हुए चयन प्रक्रिया में शामिल नहीं किया जावेगा।

6 समस्त सेवा पद पूर्णतः अस्थाई है, भर्ती प्रक्रिया को किसी भी समय बिना सूचना के निरस्त किया जा सकेगा।

7 अभ्यर्थी द्वारा अलग–अलग सेवा पदों पर आवेदन करने की स्थिति में पृथक–पृथक आवेदन करना अनिवार्य होगा अन्यथा आवेदन मान्य नहीं किया जावेगा।

8 समस्त सेवा पदों पर जिला बेमेतरा के अभ्यर्थियों को प्राथमिकता दी जावेगी। जिला बेमेतरा मूल निवासी नही मिलने की स्थिति में ही, अन्य जिले के अभ्यर्थी का चयन किया जावेगा।

9 विज्ञापित जिन सेवा पदों में नर्सिंग / पैरामेडिकल कॉन्सिल में जीवित पंजीयन मांगा गया है उन सेवा पदों हेतु जीवित पंजीयन अनिवार्य होगा। अभ्यर्थियों द्वारा जीवित पंजीयन प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किये जाने की स्थिति में अभ्यर्थी अपात्र होगें।

कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी

जिला–बेमेतरा (छ.ग.)

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, जिला कार्यक्रम प्रबंधन इकाई

ईमेल :- cmho-bemetara.cg@gov.in फोन नं. .07824–222–069 / 108

10 आवश्यक दस्तावेज :– आवेदक आवेदन पत्र के साथ निम्नलिखित अभिलेखों की स्वप्रमाणित छायाप्रति अनिवार्यतः संलग्न करें :–

1. जन्म तिथि के संबंध में प्रमाण हेतु दस्तावेज।
2. निर्धारित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता अनुसार सभी वर्षो की अंकसूची / संबंधित डिग्री / इंटर्नशीप / पंजीयन प्रमाण पत्र
3. सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदाय जाति प्रमाण पत्र (आरक्षित वर्ग हेतु)
4. सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदाय छत्तीसगढ़ मूल निवास प्रमाण पत्र।
5. छ.ग. कॉन्सिल पंजीयन का जीवित प्रमाण पत्र जिन पदों हेतु लागू है संलग्न करना आवश्यक है।
6. जिला रोजगार कार्यालय का जीवित पंजीयन अनिवार्य है।
7. अनुभव प्रमाण पत्र :–
   - A. जिन सेवा पदों में अनुभव मांगा गया है, अनुभव प्रमाण पत्र केवल शासकीय संस्थान एवं सार्वजनिक संस्थानों तथा शासकीय वित्तीय सहायता प्राप्त संस्थानों / उपक्रम का ही मान्य होगा। अनुभव प्रमाण पत्र में अनुभव की अवधि का स्पष्ट उल्लेख नहीं होने तथा कार्यालयीन जावक क्रमांक नहीं होने पर अनुभव प्रमाण पत्र मान्य नहीं किया जावेगा। सेवा पद से संबंधित शैक्षणिक योग्यता पूर्ण करने के उपरांत प्राप्त अनुभव के आधार पर ही अनुभव के अंक मान्य किये जावेगें। अनुभव में अंकों की गणना, एक संस्था में एक पद पर 12 माह पूर्ण होने पर ही एक वर्ष का 02 अंक दिया जावेगा। 12 माह से कम अवधि का अनुभव होने पर अंकों की गणना शून्य मानी जावेगी।
   - B. अनुभव विज्ञापित सेवा पद से संबंधित होने पर ही मान्य किया जावेगा, जिसके संबंध में किसी भी प्रकार के विवाद / भ्रम की स्थिति में सर्वाधिकार कलेक्टर / चयन समिति बेमेतरा के पास सुरक्षित होगा।
   - C. अनुभव प्रमाण पत्र के साथ नियोक्ता का नियुक्ति आदेश संलग्न करना अनिवार्य होगा। जिसके बिना अनुभव के अंकों की गणना नहीं की जावेगी।

उक्त अभिलेखों का एक स्वप्रमाणित सेट अभ्यर्थियों को आवेदन के साथ प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा तथा सत्यापन तिथि को मूल दस्तावेजों से मिलान करते हुए सत्यापन एवं परीक्षण किया जावेगा।

11 आवेदन संबंधी एवं चयन प्रकिया संबंधी सभी सूचना जिले की वेबसाइट www.bemetara.gov.in एवं कार्यालय के सूचना पटल के माध्यम से समय–समय पर उपलब्ध करायी जावेगी। इसके अतिरिक्त किसी अन्य माध्यम से सूचना नहीं दी जावेंगी।

12 आवेदक की आयु दिनांक 01.01.2019 की स्थिति में न्यूनतम 18 वर्ष एवं अधिकतम 35 वर्ष होनी चाहिए। अधिकतम आयु सीमा में छूट के संबंध में छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी निर्देश लागू होगें।

13 शैक्षणिक योग्यता में प्राप्तांको का 90 प्रतिशत अंक व अनुभव का अधिकतम 10 अंक (प्रत्येक वर्ष हेतु 02 अंक) को जोड़कर मेरिट / चयन सूची संधारित होगी।

14 समस्त सेवा पद पूर्णतः अस्थायी होगें। यह सेवा पद केवल मूलभूत स्वास्थ्य सुविधा एवं कार्य आवश्यकता के दृष्टिकोण से वैकल्पिक व्यवस्थापन हेतु निर्धारित है।

15 आवेदन मात्र करने पर ही किसी का चयन सुनिश्चित नहीं होगा। अंतिम चयन सूची जारी करने के पूर्व मूल प्रमाण पत्रों की जांच में सही पाये जाने पर ही, चयन हेतु अग्रिम कार्यवाही की जावेगी।

16 चयनित अभ्यर्थी को सेवा प्रदान करने के एवज में प्रतिमाह एकमुश्त मानदेय राशि प्रदाय की जावेगी। इसके अतिरिक्त किसी भी प्रकार का अन्य भत्ता / सुविधा देय नहीं होगा।

17 उपरोक्त सेवा / कार्य अवधि 31 मार्च 2020 तक के लिए होगी। कार्य मूल्यांकन संतोषजनक होने एवं जिला खनिज न्यास निधि बेमेतरा में राशि की उपलब्धता की स्थिति में सेवा अवधि में वृद्धि की जा सकती है। भविष्य में उक्त सेवा पद के विरूद्ध नियमित / संविदा के रिक्त पदों पर भर्ती हेतु दावा नहीं किया जा सकेगा। नियमित / संविदा पदों पर भर्ती किये जाने पर सेवा पद / सेवायें स्वतः निरस्त हो जायेगी।

कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी

जिला–बेमेतरा (छ.ग.)

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, जिला कार्यक्रम प्रबंधन इकाई

ईमेल :- cmho-bemetara.cg@gov.in फोन नं. .07824–222–069 / 108

18 सेवा पद पूर्णतः अस्थाई एवं मानदेय पर होने के कारण चयनित अभ्यर्थी की सेवायें किसी भी समय बिना किसी सूचना के समाप्त की जा सकती है। चयनित अभ्यर्थी द्वारा त्याग पत्र देने के पूर्व एक माह पहले सूचना देना होगा अन्यथा उसके एवज में एक माह का वेतन जमा करना अनिवार्य होगा।

19 आरक्षण प्रदाय किया गया है। आरक्षण हेतु सक्षम अधिकारी द्वारा जारी दस्तावेज संलग्न किया जाना अनिवार्य होगा। अन्यथा ऐसे अभ्यर्थियों को आवेदन पत्र में प्रमाण पत्र संलग्न न होने की स्थिति में सामान्य श्रेणी में सम्मिलित किया जावेगा।

20 अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी के अभ्यर्थियों को सक्षम प्राधिकारी से स्थायी जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

21 चयनित अभ्यर्थी द्वारा कार्यस्थल पर उपस्थिति देने के उपरांत किसी भी परिस्थिति में अन्यत्र स्थानांतरण नहीं होगा। सेवा पद पर नियुक्ति आदेश प्राप्त होने पर कार्यस्थल में उपस्थिति देना अनिवार्य होगा। निर्धारित समय सीमा में अपनी उपस्थिति नहीं देने के स्थिति में चयनित अभ्यर्थी की सेवायें स्वतः समाप्त हो जायेगी।

22 चयनित अभ्यर्थियों का कार्यमूल्यांकन (Performance Appraisal) नियंत्रणकर्ता अधिकारी द्वारा किया जावेगा।

23 विज्ञापन में विज्ञापित सेवापद अनुरूप निर्धारित अर्हताधारी अभ्यर्थी के ही आवेदन स्वीकार किये जावेंगे।

24 आवेदित सेवापद पर चयनित होने मात्र से नियुक्ति का अधिकार प्राप्त नहीं होगा।

25 उक्त सेवा पद के लिए प्रवर्गवार प्रतीक्षा सूची जारी की जावेगी, जिसकी वैधता जारी दिनांक से एक वर्ष अथवा 31 मार्च 2020 जो भी पहले हो तक वैध रहेगी। इस समयावधि में स्वीकृत नए सेवापद / त्यागपत्र अथवा किसी भी कारण से रिक्त होने वाले सेवापदों को भी इसी प्रतीक्षा सूची से भरा जा सकेगा।

26 चयन प्रकिया के किसी भी चरण में यह पाया जाता है कि किसी अभ्यर्थी द्वारा किसी भी प्रकार से किसी प्रकार का राजनैतिक अथवा अन्य दबाव डलवाया जा रहा है या निष्पक्ष चयन प्रकिया को प्रभावित करने का प्रयास किया जा रहा है, तो उनका आवेदन पत्र अमान्य कर दिया जावेगा तथा इस संबंध में किसी भी प्रकार का दावा / अभ्यावेदन मान्य नहीं किया जावेगा।

27 आवेदकों को छ.ग. का मूल निवासी होना अनिवार्य है। जिला बेमेतरा के मूल निवासी को प्राथमिकता दी जावेगी। सक्षम अधिकारी से जारी निवास प्रमाण पत्र जमा करना अनिवार्य होगा।

28 अभ्यार्थियों को आवेदन पत्र में निर्दिष्ट स्थान पर स्वयं का स्वप्रमाणित नवीनतम पासपोर्ट आकार का फोटो लगाना होगा।

29 अभ्यर्थी को आवेदन करने अथवा दस्तावेज सत्यापन में उपस्थित होने के लिए किसी भी प्रकार का यात्रा भत्ता / व्यय शुल्क देय नहीं होगा।

30 शासकीय / अर्धशासकीय संस्था में कार्यरत अभ्यर्थियों को नियोक्ता द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र आवेदन पत्र में संलग्न करना अनिवार्य होगा।

31 चयन प्रकिया के दौरान किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में अंतिम निर्णय लेने का सर्वाधिकार कलेक्टर / जिला स्तरीय चयन समिति बेमेतरा के पास सुरक्षित होगा। जो सभी आवेदकों को मान्य होगा।

32 उपरोक्त सेवा पदों पर भविष्य में समस्त निर्णय शासी परिसद बेमेतरा के अधीन होगें।

33 प्रशासकीय कारणों से अधिसूचित रिक्तियों में सेवापदों की संख्या घटाई या बढ़ाई जा सकती है या निरस्त भी किया जा सकता है। जिसका अधिकार कलेक्टर / चयन समिति बेमेतरा का होगा।

34 उक्त सेवापदों पर चयन कलेक्टर / जिला स्तरीय चयन समिति बेमेतरा द्वारा किया जावेगा।

35 जिले में प्रचलित आरक्षण रोस्टर पद्धति अनुसार आरक्षण का प्रावधान लागू किया जावेगा।

36 विज्ञापन की विस्तृत जानकारी, आवेदन पत्र का प्रारूप एवं चयन प्रक्रिया एवं परिणाम जिले के वेबसाईट www.bemetara.gov.in एवं कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला बेमेतरा के सूचना पटल पर देखा जा सकता है। इसके अतिरिक्त अन्य माध्यम से जानकारी नहीं दी जावेगी।

S.K.Sharma 19.11.19

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी

जिला–बेमेतरा (छ.ग.)